इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2019—श्रावण 11, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2019

सूचना

क्र. एफ 12-02-2014-सात-2.—मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 21 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"22. **ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में भूमि की सीमाएं.**—अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत भूमि के विस्तार की वे सीमाएं, जिससे अधिक भूमि के लिए प्राइवेट बातचीत के माध्यम से प्राइवेट कम्पनी द्वारा क्रय के मामले में अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उपबंध लागू होंगे, नगरीय क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 500 हेक्टेयर होगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2019

क्र. एफ 12-02-2014-सात-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-02-2014-सात-2, दिनांक 1 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 1st August 2019

NOTICE

No. F-12-02-2014-VII-Sec 2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), is hereby, published as required by Section 112 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, after rule 21, the following rule shall be added, namely:—

"22. **Limits of Land in rural areas and urban areas.—** The limits of land under clause (a) of sub-section (3) of Section 2 of the Act beyond which provisions of rehabilitation and resettlements under the Act apply, in case of purchase by a private company through private negotiation, shall be 50 hectares in urban areas and 500 hectares in rural areas."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.